फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

डॉ. ललीत शंकर जोशी 03 आकाशद्वीप बंगलो, फिशरीज के पिछे संगुडपुरा रोड़, आनंद, गुजरात पिन नं. (388001) — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 32/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 01.08.2022

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक: रीडर/सू.अ./2022/25 एसपी–1 दिनांक 30.05.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को पत्रांक: सू.अ. 05/2022/14 दिनांक 16.03.2022 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा मांगे गये रूप में सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है एवं अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना प्रश्नात्मक, विवेचनात्मक प्रकति की है जिसमें सूचनाओं के सृजन की आवश्यकता होती है जिसकी अनुमति सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं देता है । यदि अपीलार्थी पत्रावली संख्या, आदेश संख्या, एवं दिनांक अथवा क्रमांक आदि विशिष्ठियों सहित आवेदन करते है तो नियमानुसार देय होने पर एवं कार्यालय में संधारित व उपलब्ध होने पर अवश्य रूप से समयावधि में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध करवाई गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में अपने कार्यालय में आमंत्रित कर अभिलेख का अवलोकन करा आर.टी.आई. आवेदन के अनुसार नियमानुसार अभिलेख पर उपलब्ध सूचना दी जावे। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद